संख्या-81/2026/आई/1378073/2026/65-2099/1123/2019

प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 29 जून, 2026

विषय:- समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, जनपद-मिर्जापुर के भवन निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में (अन्तिम किश्त)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5172/दि0ज0स0वि0/निर्माण/समेकित-मिर्जापुर/2025-26 दिनांक 24.03.2026 एवं पत्र संख्या-सी-899/दि0ज0स0वि0/निर्माण/समेकित-मिर्जापुर/2026-27 दिनांक 12 जून, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, जनपद-मिर्जापुर के निर्माण कार्य की रोकी गयी 05 प्रतिशत धनराशि रू0 80.942 लाख अवमुक्त किये जाने के सबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गयी है।

2. अवगत कराना है कि जनपद-मिर्जापुर में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिये निर्माण कार्य हेतु मानकीकृत लागत पर रू0 1703.46 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु0 400.00 लाख शासनादेश संख्या-76/2016/2657/65-2-2016-103 (विविध)/2015 दिनांक 22.12.2016 द्वारा अवमुक्त की गयी। उक्त मानकीकरण के शासनादेश दिनांक 04.11.2015 का संशोधन शासनादेश संख्या-1311/65-2-2017-26(विविध)/2012 दिनांक 13.07.2017 द्वारा किया गया है, जिसमें समेकित विद्यालय के भवन निर्माण के लिए साधारण मृदा हेतु रु0 1691.13 लाख की लागत आकलित की गयी। उक्त निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रु0 200.00 लाख शासनादेश संख्या-1/2018/3328/65-2-2017-56(बजट)/2017 दिनांक 26.12.2017 द्वारा अवमुक्त की गयी। उपर्युक्त समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, मिर्जापुर के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 1618.84 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-03/2019/1882/65-2-2018-56 (बजट)/2017 दिनांक 03.01.2019 द्वारा निर्गत की गयी। उक्त निर्माण कार्य हेतु तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रु0 100.00 लाख शासनादेश संख्या-76/2019/1984/65-2-2019-56**(बजट)/2017** दिनांक 02.08.2019, चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रु0 300.00 लाख शासनादेश संख्या-43/2021/आई/59649/2021/65-2099/1123/2019 दिनांक 23.03.2021, पांचवी किश्त के रूप में धनराशि रु0 300.00 लाख शासनादेश संख्या-17/2022/आई/148514/2022/65-2099/1123/2019 दिनांक 21.03.2022 द्वारा, छठवीं किश्त के रूप में धनराशि रु0 237.898 लाख शासनादेश संख्या-119/2022/आई/254453/2022/65-2099/1123/2019 दिनांक 28.12.2022 द्वारा एवं सातवीं किश्त के रूप में जी0एस0टी0 की धनराशि रु0 131.63 लाख शासनादेश संख्या-45/2024/आई/728142/2024/65-2099/1123/2019 दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29.08.2024 द्वारा अर्थात कुल धनराशि रु0 1669.528 लाख (रु0 1537.898 लाख + रु0 131.63 लाख जी0एस0टी0 की धनराशि) अवमुक्त की गयी।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, जनपद-मिर्जापुर के भवन निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 1618.84 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) के सापेक्ष रोकी गयी 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 80.942 लाख (रू0 अस्सी लाख चौरानवे हजार दो सौ मात्र) स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किश्तों में व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

(iii) धनराशि की स्वीकृति/आहरण एवं अन्य कार्यवाहियां वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) आगणन में निर्धारित लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा एवं कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(v) प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगी।

(vi) प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(vii) प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग इत्यादि संबंधी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड/अन्य संबंधी कोड के अनुरूप हैं।

(viii) प्रायोजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा।

(ix) आगणन में उल्लिखित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत माना गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे:-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(x) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में न ही किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश/कार्यदायी संस्था को होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xi) प्रश्नगत निर्माण कार्य में भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजन के लिये सभी भवनों में पहुंच हेतु सुगम्य एवं बाधारहित वातावरण बनाये जाने के लिये निर्गत "Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility In India, 2021" का अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xii)प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xiii)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xiv) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना/तथ्य गलत पाए जाते हैं, तो उसका उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xv)शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था तथा निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक /लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(xvi) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xvii) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाएगा।

(xviii) प्रायोजनान्तर्गत सम्मिलित जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता एवं नियमानुसार भुगतान किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xix) शासनादेश संख्या-119/2022/आई/254453/2022/65-2099/1123/2019 दिनांक 28.12.2022 एवं 45/2024/आई/728142/2024/65-2099/1123/2019 दिनांक 29.08.2024 की शर्तें यथावत रहेंगी।

4. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-05-समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित प्रावधानों एवं प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ/अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, प्रखंड-मिर्जापुर।
5. उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर।
6. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, मिर्जापुर।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग-1।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।